

राजस्थान विधान सभा
चतुर्थ सत्र
कार्य-सूची
गुरुवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2010
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ) अधिसूचनायें

श्री रामलाल जाट, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री, वन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.4(8)वन/2005-पार्ट दिनांक 2 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010 विरचित किये गये हैं ; एवं
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.10(13)वन/2004 दिनांक 13 जनवरी, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान वन उपज (आरा मशीनों की स्थापना एवं विनियमन) नियम, 1983 में संशोधन किया गया है।

(ब) वार्षिक प्रतिवेदन

श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 58वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. याचिका का उपस्थापन

श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा, सीकर के विधि महाविद्यालय के लिये अलग भवन एवं भूमि उपलब्ध करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

4. विधायी कार्य

(अ) पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री हेमराम चौधरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान कृषि जोतों पर
अधिकतम - सीमा अधिरोपण
(संशोधन) विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-15)

"राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम- सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

जारी..2..

(ब) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010

- (I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- होम्योपैथी विश्वविद्यालय,
जयपुर विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-9)
- "राजस्थान राज्य में होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनू) विधेयक, 2010

- (I) डॉ० जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना
(झुन्झुनू) विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-8)
- "राजस्थान राज्य में श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनू) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(III) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री परसादीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- राजस्थान सहकारी सोसाइटी
(संशोधन) विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-12)
- "राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(IV) एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010

- (I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय,
नीमराना (अलवर)
विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-10)
- "राजस्थान राज्य में एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(V) डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010

- (I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय
निवाई (टोंक) विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-7)
- "राजस्थान राज्य में डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

एच.आर. कुडी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 31 मार्च, 2010